Uttarakhand

Simply Heaven!

पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ

पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनायें

1- वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से विभाग में वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना वर्ष 2002 में लागू की गयी।

- **(1) मद -**
- **वाहन-** बस, टैक्सी, जिप्सी, कैरावैन, टैम्पो ट्रैवलर क्रय।
- **गैर वाहन-** फास्टफूड सेन्टर, रैस्टोरेन्ट, मोटर गैराज, योगध्यान केन्द्र, फोटोग्राफी उपकरण, सोविनियर शॉप, हर्बल टूरिज्म, संग्रहालय निर्माण, हस्तशिल्प शोरूम, साहसिक पर्यटन उपकरण क्रय, होटल/मोटल, बर्ड वाचिंग उपकरण क्रय, एस्ट्रो टूरिज्म के उपकरण क्रय, आल टैरेन बाईक्स, बेकरी शॉप, एंग्लिंग उपकरण, लॉण्ड्री इत्यादि।

(2) अनुदान - अनुमोदित योजना गैर वाहन मद के विभिन्न प्रयोजनों हेतु पर्वतीय क्षेत्रों में पूंजी सकर्म का 33 प्रतिशत अधिकतम 33.00 लाख तथा वाहन मद में पूंजी सकर्म का 25 प्रतिशत अधिकतम 25.00 लाख अनुदान धनराशि प्रदान किये जाने का प्राविधान है। बस (इलैक्ट्रिक/लकजरी) क्रय हेतु 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 20.00 लाख, इनमें से जो भी कम हो, की राजसहायता दिये जाने का प्राविधान है।

(3) मार्जिन मनी - लाभार्थी को 12.5 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी लगानी होगी।

(4) पात्रता - उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी, पर्यटन विषय पर डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त लाभार्थियों को वरीयता, बस एवं टैक्सी क्रय योजनाओं के लिए कम से कम 5 वर्ष का कामर्शियल ड्राईविंग लाइसेन्स अनिवार्य (7500 किलो0ग्राम भार से अधिक वजन के वाहनों हेतु), होटल/मोटल योजनाओं के लिए भू-स्वामित्व की अनिवार्यता, लाभार्थी कम से कम साक्षर हो।

(5) आवेदन प्रक्रिया - योजना आवेदन हेतु आवेदक को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल www.msy.uk.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसके उपरान्त ऑनलाइन प्रपत्रों की दो प्रतियां जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में निम्न पत्रों के साथ (योजनानुसार आवश्यक) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

1. मूल/स्थाई निवास प्रमाण पत्र
2. आयु प्रमाण पत्र
3. आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत)
4. शैक्षिक योग्यता/तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र
5. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति व भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र
6. कामर्शियल ड्राइविंग लाइसेन्स एवं क्रय किये जाने वाले वाहन का कोटेशन (वाहन हेतु)
7. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र।
8. प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं योजना का नक्शा

(6) चयन - शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है।

2- दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण पर्यटन के विकास व रोजगार उपलब्ध कराना है। योजना के उद्देश्य स्थानीय लोगो को स्वरोजगार उपलब्ध कराते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को

बेहतर बनाना, पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना व नये पर्यटन स्थलों का विकास, राज्य की संस्कृति ऐतिहासिक धरोहरों तथा पारम्परिक/पहाड़ी शैली से परिचित कराना तथा स्थानीय रोजगार सृजन के द्वारा प्रदेश से पलायन रोकना है। योजना हेतु शर्तें भवन पूर्णतः आवासीय परिसर हो और वहा मकान मालिक अपने परिवार के साथ भौतिक रूप से रह रहा हो, भवन को होम स्टे योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य है, पर्यटकों के लिए 01 से 06 तक कमरों की व्यवस्था की जा सकेगी, योजना नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है तथा पारम्परिक/पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता है।

(1) अनुदान - अनुमोदित योजना पर्वतीय क्षेत्रों में पूंजी सकर्म लागत का 50 प्रतिशत अथवा 15.00 लाख जो भी कम हो तथा कुल सालाना ब्याज राशि का 50 प्रतिशत या 1.50 लाख जो भी कम हो जो प्रथम 5 वर्षो तक मान्य होगा। साथ ही बैंकों से रू0 30.00 लाख तक ऋण लिये जाने पर बैंक के पक्ष में पंजीकृत बंधक विलेख पर भुगतान किये जाने वाले प्रभाव शुल्क की प्रतिपूर्ति की जायेगी।

(2) मार्जिन मनी - लाभार्थी को 12.5 प्रतिशत की दर से मार्जिन मनी लगानी होगी।

(3) पात्रता - उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी हो, भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, भू उपयोग परिर्वतन करना अनिवार्य,

(4) चयन - शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है।

(5) आवेदन प्रक्रिया - योजना आवेदन हेतु आवेदक को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टल www.msy.uk.gov.in पर आवेदन करना होगा। इसके उपरान्त ऑनलाइन प्रपत्रों की दो प्रतियां जिला पर्यटन विकास अधिकारी कार्यालय में निम्न पत्रों के साथ (योजनानुसार आवश्यक) प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- जन्म तिथि प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण-पत्र
- आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो।
- उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
- भूमि/भवन सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
- योजना का आगणन एवं मानचित्र

(6) किसी भी गॉव में 6 या उससे अधिक गृह आवास (होम स्टे) स्थापित किये जाने पर उन्हें समूह माना जायेगा। ऐसे समूह के चयन की कार्यवाही जिलाधिकारी के माध्यम से की जायेगी। सर्वप्रथम जिले के प्रमुख पर्यटक स्थलों के आस-पास ही समूह चिन्हित किये जाने का प्रयास किया जायेगा।

(7) समूह में जो आवास (होम स्टे) विकसित होंगे उन ग्रामों में ग्रामीण पर्यटन हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधा कार्य भी कराये जायेंगे।

3- उत्तराखण्ड अतिथि गृह आवास पंजीकरण योजना

उत्तराखण्ड अतिथि गृह आवास पंजीकरण योजना का उद्देश्य विदेशी व देशी पर्यटकों के लिए एक साफ व किफायती तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक स्तरीय आवासीय सुविधा प्रदान करना है। इससे विदेशी पर्यटकों को भी एक भारतीय परिवार के साथ रहने व उनकी संस्कृति का अनुभव व उनकी परम्पराओं को समझने तथा उत्तराखण्डी व्यजंनों के सुस्वाद के लिए एक उत्कृष्ट अवसर मिलेगा।

भवन स्वामी के भवन का पंजीकरण 2 वर्षों के लिये गोल्ड, सिल्वर एवं ब्रॉन्ज श्रेणी में भवन में पर्यटकों हेतु उपलब्ध कराई गई सुविधाओं एवं सेवाओं की गुणवत्ता, इकाई की स्थिति का आंकलन करते हुए समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ऑन लाईन पंजीकरण हेतु विभागीय वेबसाईट www.uttarakhandtourism.gov.in में आवेदन किया जाना होता है, जिस हेतु आवेदक को निम्न प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड करते हुए एक प्रति कार्यालय में जमा करनी होती है:-

1. होम स्टे के फोटोग्राफ
2. नोटराइज्ड शपथ पत्र।
3. आवेदक का पैन कार्ड/आधार कार्ड
4. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
5. भवन का मानचित्र
6. फायर एन0ओ0सी0/बिल

नगरीय क्षेत्रों में आवासीय इकाईयों का होम-स्टे में पंजीकरण हेतु पार्किंग की सुविधा होना अनिवार्य है।

योजना के लाभ:-

- पंजीकृत भवन स्वामियों को आतिथ्य सत्कार एवं ऑनलाइन मार्केटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है।
- विद्युत, पानी एवं भवन कर अव्यावसायिक दरों पर वसूली जायंगी।
- प्रथम तीन वर्षों तक अर्जित आय पर एसजीएसटी की छूट।
- पंजीकृत इकाईयों का प्रचार-प्रसार उत्तराखण्ड पर्यटन की वेबसाइट से किया जा रहा है एवं होम-स्टे की ऑनलाइन बुकिंग हेतु पर्यटन विभाग द्वारा उत्तरा स्टे पोर्टल (www.uttarastays.com) विकसित किया गया है।

4. ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर होम-स्टे अनुदान योजना

उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद द्वारा संचालित ट्रैकिंग ट्रैक्शन सेन्टर होम-स्टे अनुदान योजना का उद्देश्य ग्रामीण पर्यटन के विकास, राज्य के प्रमुख ट्रैक रूटस के पास होम-स्टे विकसित करते हुए स्थानीय लोगो को स्वरोजगार उपलब्ध कराना व उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना, पर्यटकों को ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित करना एव नये पर्यटन स्थलों ट्रैक रूटस का विकास, राज्य की सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों तथा पारम्परिक/पहाड़ी शैली से परिचित कराना तथा स्थानीय रोजगार सृजन के द्वारा प्रदेश से पलायन रोकना है। योजना हेतु भवन पूर्णत: आवासीय परिसर होना चाहिए और वहॉ मकान मालिक अपने परिवार के साथ भौतिक रूप से रह रहा हो। भवन को होम-स्टे योजना के अर्न्तगत पंजीकरण कराना अनिवार्य है जिसमे पर्यटकों के लिए 01 से 06 तक कमरों की व्यवस्था की जा सकेगी। यह योजना नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों को छोडकर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है तथा पारम्परिक/पहाडी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जाएगी।

"होम-स्टे" से ऐसी आवासीय इकाई अभिप्रेत है जो पूर्णत: आवासीय परिसर हो जिसमें भवन स्वामी स्वयं निवास करता हो तथा ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर के 02 कि0मी0 की परिधि में पडने वाले गॉवों तथा ट्रैकिंग ट्रॅक्शन से निकलने वाले ट्रेक मार्गो में ही स्थित हो "ट्रैकिंग ट्रॅक्शन सेंटर" ऐसे स्थल से अभिप्रेत है जहॉं से अधिकतम ट्रैकिंग मार्ग प्रारंभ होते हो व शहर से अलग हो जिनका चिन्हीकरण जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं यू0टी0डी0बी0 द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए।

(1) अनुदान - राजकीय सहायता (अनुदान) के रूप में नए कक्षों के निर्माण हेतु प्रतिकक्ष रूपये 60,000 (साठ हजार) की सुविधा के साथ तथा पूर्व से निर्मित कक्षों की साज-सज्जा हेतु रूपये 25,000 (पच्चीस हजार) प्रतिकक्ष अधिकतम 6 कक्षों तक, का भुगतान आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत वास्तविक देयकों के आधार पर, गठित समिति के मूल्यांकन/पुष्टि के उपरान्त किया जायेगा।

(2) पात्रता - उत्तराखण्ड का मूल/स्थाई निवासी हो एव भूस्वामित्व प्रमाण पत्र

(3) चयन - शासन द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है।

योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज-

1- मूल/स्थाई निवास प्रमाण पत्र
2- आयु प्रमाण पत्र
3- शैक्षिक योग्यता/तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र
4- अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछडी जाति/भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र
5- भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र
6- प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं योजना का नक्शा
7- 10 रू0 के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र
8- पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति
9- बैंक पासबुक की छायाप्रति

Uttarakhand
Simply Heaven!

Uttarakhand Tourism Development Board,
Pt. Deen Dayal Upadhyay Paryatan Bhawan Near ONGC Helipad,
Garhi Cantt, Dehradun, Uttarakhand 248001